न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/46/2023

मदनलाल पुत्र कन्हैया जाति धीमर निवासी बयानागेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 21.08.2023**

मदनलाल पुत्र कन्हैया जाति धीमर निवासी बयानागेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील, लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 572 दिनांक 08.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के पत्रांक पी.ए./आरटीआई/2023/2362 दिनांक 16.08.2023 से, प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया कि ''अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबन्धित पत्रावली संख्या 129/2015 कार्यालय रिकार्ड में मिलने पर वांछित सूचना का शुल्क अपीलार्थी द्वारा जमा कराये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 2339 दिनांक 11.08.2023 से जरिये पंजीकृत डाक अपीलार्थी के घर के पते पर सूचना भिजवाई जा चुकी है।'' अपील निरस्त फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक 2339 दिनांक 11.08.2023 से जरिये पंजीकृत डाक अपीलार्थी के घर के पते पर सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर